प्रेस विज्ञप्ति

गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर, जिला- ऊधमसिंह नगर (उत्तराखण्ड)

फसलों के अवशेष को न जलाने की अपील-डा. डी.के. सिंह

पंतनगर। 17 अक्टूबर २०२०। पंतनगर विश्वविद्यालय के मुख्य महाप्रबंधक फार्म, डा. डी.के सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार केन्द्र सरकार ने किसानों द्वारा खेत में पराली जलाने पर रोक लगा दी, जिस पर कुलपति के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय फार्म प्रक्षेत्र में खेत में पराली जलाने से पूर्व में ही रोक लगा दी गयी है। साथ ही एनजीटी ने भी इसके लिए कड़े कानून बनाए हैं, जिनमें एफआईआर तक का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि किसानों द्वारा खेतों में पराली जलाने से वातावरण में प्रदूषण तो बढ़ता ही है साथ ही मृदा की ऊपरी सतह जलने से जीवाश्म, जिंक, कार्बन के साथ ही कई सुक्ष्म तत्व भी नष्ट हो जाते है। डा. सिंह ने विश्वविद्यालय फार्म में भूमि शुल्क पर लेकर कार्य कर रहे कृषकों से अनुरोध किया कि किसान खेतों में पराली न जलायें। उन्होंने पराली जलाने में रोक लगाने के लिए निम्न तकनीकों को अपनाने की सलाह दी, जिसमें फसल की कटाई के लिए स्ट्रा मैनेजमेन्ट सिस्टम (एसएमएस) लगे कम्बाईन का प्रयोग करें। मोल्ड-बोल्ड प्लाऊ से खेत को पल्ट कर अगली फसल हेतु खेत तैयार करें। चापर चलाकर खेत में सुपर सीडर द्वारा फसल की बुआई करे इसके साथ-साथ खेत में मल्चर चलाकर बेलर द्वारा पराली इक्टठा करने के उपरान्त जीरो सीडड्रिल से फसल की बुआई करे तथा फसल की बुआई के लिए हैप्पी सीडर का प्रयोग करें एवं खेत में हैरों चलाकर उसमें पानी लगा दिया जाये उसके बाद फसल की बुआई की जाये। इन तकनीकों को अपनाकर खेत में फसल अवशेषों का सही उपयोग किया जा सकता है।

हैप्पी सीडर से फसल की बुआई करते।